

प्रेरक,

हरिवन्द जोशी  
सरिय  
उत्तराखण्ड शासन।

01 मार्च 2008  
संख्या-2008

नर्स दिल्ली।  
देहरादून दिनांक  
माध्यमिक शिक्षा अनुभाग-3  
नर्स दिल्ली।  
नर्स दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र।

नन्देराय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कदम का निर्देश हुआ है कि नर्सिङ्ग इन्टरनेशनल स्कूल चोपला, मोहबेवाला, देहरादून को सी0बी0एस0ई0 नर्स दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र देने में राज्य सरकार को निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अंगुण जावति नहीं है:-

- (1) उत्तराखण्ड में स्थित शिक्षण संस्थानों को कांअसित फार दि इण्डियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन/सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ सैकेण्डरी एजुकेशन, नर्स दिल्ली से सम्बद्धता प्राप्त करने हेतु उपर्युक्त दोनों बोर्डों द्वारा निर्धारित शर्तों/मानकों का अनुपालन करना अनिवार्य होगा।
- (2) विद्यालय को पंजीकृत सोसाइटी का समय-समय पर नवीनीकरण कराया जायेगा।
- (3) विद्यालय की प्रबन्ध समिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित सदस्य होगा।
- (4) विद्यालय में कम से कम 10 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के मेधावी बच्चों के लिये सुरक्षित रहेंगे और उनसे उत्तराखण्ड माध्यमिक शिक्षा परिषद/बैसिक शिक्षा परिषद द्वारा संघालित विद्यालयों में विभिन्न कक्षाओं के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक नहीं लिया जायेगा।
- (5) संस्था द्वारा राज्य सरकार से किसी अनुदान की मांग नहीं की जायेगी और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय को सम्बद्धता सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ सैकेण्डरी एजुकेशन, नर्स दिल्ली/कौन्सिल फॉर इण्डियन सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन, नर्स दिल्ली से प्राप्त होती है तो उक्त परीक्षा परिषदों से सम्बद्धता प्राप्त होने की तिथि से परिषद से मान्यता और राज्य सरकार से अनुदान रकत समाप्त हो जायेगी।

कभार.....2

(2)

शिक्षण तथा शिक्षण कर्मचारियों को राजकीय सहायता तथा शिक्षण संस्थानों के कर्मचारियों को अनुनय वेतनमानों तथा अन्य शर्तों का पालन करना।  
गोदा-शिक्षण संस्थानों के कर्मचारियों को अनुनय वेतनमानों तथा अन्य शर्तों का पालन करना।  
गोदा-शिक्षण संस्थानों के कर्मचारियों को अनुनय वेतनमानों तथा अन्य शर्तों का पालन करना।  
गोदा-शिक्षण संस्थानों के कर्मचारियों को अनुनय वेतनमानों तथा अन्य शर्तों का पालन करना।

- (6) राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जो भी आदेश निर्गत किये जायेंगे, संस्था उनका पालन करेगी।
- (9) विद्यालय का रिकार्ड निर्धारित प्रपत्र पंजीकरणों में रखा जायेगा।
- (10) उक्त शर्तों में विना शासन के पूर्वानुमोदन के कोई परिवर्तन/संशोधन/परिवर्द्धन नहीं किया जायेगा।

उक्त प्रतिबन्धों का पालन करना संस्था के लिए अनिवार्य होगा और यदि किसी समय यह पाया जाता है कि संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्धों का पालन नहीं किया जा रहा है अथवा पालन करने में किसी भी प्रकार की चूक या शिथिलता उत्पन्न हो रही है तो राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण-पत्र वापस ले लिया जायेगा।

भवदीय,  
(हरिवन्द जोशी)  
सरिय

संख्या-1685(1)/XXIV-3/2008/01(27)/2007, तददिनांक।

- 1- प्रतिनिधि, निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यावही हेतु प्रेषित-  
निदेशक, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 2- अपर शिक्षा निदेशक, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
- 3- संयुक्त शिक्षा निदेशक, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
- 4- जिला शिक्षा अधिकारी, देहरादून।
- 5- प्रधानाचार्य, नर्सिङ्ग इन्टरनेशनल स्कूल चोपला, मोहबेवाला, देहरादून।
- 6- गार्ड फाइल।

आशा से।

01/03/2008

Galaxian International School  
Cholla, Dehradun-248110 (U.K)

(Signature)